

“क्यास पर”

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा, म.प्र. शासन,

सतपुड़ा भवन, भोपाल-462004

क्रमांक 458/72/आउशि/निर्माण/शाखा-6/15. भोपाल, दिनांक 5/3/2015
प्रति,

प्राचार्य,
समस्त शासकीय महाविद्यालय,
मध्यप्रदेश

विषय:-शासकीय महाविद्यालयों में जनभागीदारी मद से निर्माण/मरम्मत कार्य तथा कय के संबंध में जारी शक्तियों/अधिकार संबंधी।

-0-

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि शासकीय महाविद्यालयों में जनभागीदारी मद से निर्माण/मरम्मत कार्य तथा कय के संबंध में जारी शक्तियों/अधिकार के संबंध में मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित क्रमांक 80, दिनांक 20 फरवरी, 2015 की प्रति संलग्न है।

अतः उपरोक्त राजपत्रित में प्रकाशित शक्तियों/अधिकारों के अनुसार महाविद्यालय में जनभागीदारी मद से निर्माण/मरम्मत कार्य तथा कय संबंधी कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।

(सचिन सिंह)

आयुक्त

उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश.

पृ. क्रमांक 459/70 /आउशि/निर्माण/शाखा-6/15, भोपाल, दिनांक 5/3/2015
प्रतिलिपि-

1. विशेष सहायक, मा0 मंत्री जी, उच्च शिक्षा, म.प्र.।
2. निज सहायक प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. निज सहायक आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल।
4. समस्त जिला कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
5. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश।
6. अध्यक्ष, जनभागीदारी समिति, शासकीय महाविद्यालय, मध्यप्रदेश।

आयुक्त

उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश.

इसे वेबसाइट www.gostpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

प्रमाण सं०]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 20 फरवरी 2015—फाल्गुन 1, शक 1936

उच्च शिक्षा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 20 फरवरी 2015

शासकीय महाविद्यालयों में जनभागीदारी समिति के नियम में संशोधन

क्र. एफ 24-1-2011-अधुनीय-2.—असाधारण राजपत्र, शासन अधिनियम अधिसूचना क्रमांक 471, दिनांक 30-09-1996 शासकीय महाविद्यालयों में जनभागीदारी समिति मद के अंतर्गत सामग्री क्रय हेतु संशोधित दिशा-निर्देश जनभागीदारी समिति की कंडिका "ग" एवं "छ" में एकादश संशोधन किया जाता है:—

"समिति के कार्य कहाँ का प्रथम सामान्य परिषद् के निर्देश एवं नियंत्रण में किया जायेगा. यह समिति की सर्वोच्च सभा होगी एवं इस सभा का अध्यक्ष राज्य शासन द्वारा नियुक्त किया जायेगा. राज्य शासन संबंधित नगर निकाय, जनपद एवं जिला पंचायत के सदस्य, विभागाध्यक्ष अथवा अधिकारी या सामान्य कार्यक्षेत्र में से वह गणमान्य नगरिक जो न्यूनतम स्नातक उपाधि प्राप्त हो तथा कम से कम एक लाख रुपये सत्ता-समाप्ति की धन के रूप में दिया हो, नियुक्त किया जायेगा. सामान्य परिषद् का उपाध्यक्ष कलेक्टर अथवा उसका प्रतिनिधि, जो किसी पारोक्षिक स्तर से काम न हो, होगा. सामान्य परिषद् में विधायक, सांसद अथवा उनके नामजद प्रतिनिधि सदस्य होंगे."

कंडिका "छ" को निम्नप्रकार प्रतिस्थापित किया जाता है:—

"जनभागीदारी समिति में भूराजित विधीय संसाधनों को Public Sector Bank में खाता खोलने का प्रावधान रखा जाये. इस निधि का नाम जनभागीदारी समिति की सामान्य परिषद् के प्रस्ताव पर महाविद्यालय की अधीनस्थ संरचना के विकास एवं शैक्षणिक विकास के लिये किया जायेगा."

जनभागीदारी समिति की निधि के व्यय हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु सीमा व प्राधिकृत अधिकारी निम्नानुसार होंगे:—

1. "सचिव जनभागीदारी समिति को (जनभागीदारी के प्रस्ताव पर) प्रत्येक निर्माण/मरम्मत कार्य तथा एक बार में सामग्री क्रय के लिये रुपये 15.00 लाख तक के अधिकार हो. इस प्रकार कुल वार्षिक व्यय रुपये 50.00 लाख तक के अधिकार होंगे. निर्माण/मरम्मत कार्य की तकनीकी स्वीकृति लोक निर्माण विभाग के संबंधित अधिकारी के अनुमोदन पश्चात् ही जारी की जायेगी."

2. जनभागीदारी समिति के प्रस्ताव पर आयुक्त उच्च शिक्षा को निर्माण एवं मरम्मत कार्यों तथा सामग्री क्रय हेतु रुपये 50.00 लाख (रुपये पचास लाख) से ऊपर के सम्पूर्ण स्वीकृति अधिकार होंगे।
3. सचिव, शिवालय अधिकाओं का प्रयोग करते समय वित्तीय संहिता-2 के अंतर्गत भण्डार क्रय नियमों का पालन करेंगे।

समिति की निधि का लेखा परीक्षण सामान्य परिपद के द्वारा नियुक्त चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा प्रतिवर्ष किया जायेगा। समिति द्वारा निर्धारित शिक्षा भूखर्क में वृद्धि की जा सकेगी तथा वह नये शुल्क भी लगा सकेगी और आय वृद्धि के अन्य उपाय भी कर सकेगी। समिति की निधि का उपयोग सोशल वेदरिंग, भिन्नान, स्वागत एवं गैर अकादमिक गतिविधियों के लिए नहीं किया जायेगा।

आयुक्त उच्च शिक्षा पर आदेश क्रमांक 1235-611-आउशि-योजना-07, दिनांक 7-8-2007 तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. विजय, उपसचिव।